नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक /3847/पैरामेडिकल/नं.सि.चौ.शा.चि.म./2026 खण्डवा, दिनांक : 30/05/2026

//प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचना//

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों मे प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी किये जाने के पश्चात् योग्य आवेदकों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाइट **www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड** पर दिनांक **30 मई 2026** को किया जा रहा है।

चयन प्रकिया :–मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण भोपाल प्रकाशित दिनांक 08 अक्टूबर 2021 में उल्लेखित प्रवेश नियमों एवं महाविद्यालय द्वारा शिक्षण सत्र 2025–26 तैयार प्रवेश विवरणिका (महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध) के नियमानुसार की जावेंगी।

काउंसलिंग के दौरान विभिन्न श्रेणीयों के अंतर्गत उपलब्ध पाठ्यक्रमों (डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र) की उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जावेगा तथा मेरिट के आधार पर आवेदक को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

Seat Matrix पैरामेडिकल पाठ्यक्रमशैक्षणिक सत्र 2025–26

Sr. No.	Course	Sanctioned Post	UR			OBC			ST			SC			EWS		
			Open	Female	PH	Open	Female	PH	Open	Female	PH	Open	Female	PH	Open	Female	PH
1	Bachelor in Medical Lab Technician (BMLT)	20	4	2	0	3	2	0	3	1	0	2	1	0	1	1	0
2	Diploma in Ophthalmic Assistant	10	1	1	0	2	1	0	1	1	0	1*	1	0	1	0	0
3	Certificate Course in Operation Theater Technician	7	1	1*	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Total	37	06	04	0	06	04	0	05	02	0	04	02	0	03	01	0

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों का आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार (केवल म.प्र. के मूल निवासी) किया गया है। नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10% सीट आरक्षित की गई है।

* लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों हेतु आरक्षित है, उक्त श्रेणी में नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नही होने पर उसी श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा सीट प्रथम काउंसलिंग में भरी जावेगीं।

निरंतर – 02

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा
संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम
लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

प्रथम काउंसलिंग दिनांक :– 02 एवं 03 जून 2026

रजिस्ट्रेशन समय :– सुबह 9:30 से 11:00 बजें तक
(रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अनुपस्थित होने की स्थिती में आवेदक के सीट का दावा निरस्त हो जावेगा)

काउंसलिंग समय :– सुबह 11:00 बजें सें

स्थान :– लेक्चर हॉल–03, द्वितीय तल, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा।

काउंसलिंग के दौरान स्क्रूटनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों (Original Documents) की जांच की जावेगी। मूल दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नही होंगे।

1. 10 वीं कक्षा की अंकसूची।
2. 12 वीं (10+2) कक्षा की अंकसूची।
3. स्थानांतरण प्रमाण–पत्र।
4. माईग्रेशन प्रमाण–पत्र।
5. वैध डिजीटल मूलनिवासी प्रमाण–पत्र।
6. जन्म प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित ना होने पर)।
7. वैध डिजीटल जाति प्रमाण–पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए।
8. वैध डिजीटल आय प्रमाण–पत्र।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate जो कि वैध हो)।
10. विभागीय कर्मचारियों के लिए मूल नियोक्ता द्वारा जारी एन.ओ.सी. (NOC) की मूलप्रति।
11. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
12. गेप सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)
13. आधार कार्ड।
14. समग्र आई.डी.।
15. बैंक पासबुक।
16. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो – 20 (जिस पर नाम, दिनांक अंकित हो तथा दोनो कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे एवं 03 माह से अधिक पुराना न हो।)

प्रथम चरण काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथियॉ एवं समय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	काउंसलिंग की तिथियॉ	काउंसलिंग का समय	मेरिट लिस्ट
1	**02 जून 2026**	रजिस्ट्रेशन– प्रातः 09:30 से 11:00 काउंसलिंग– प्रातः 11:00 बजें पश्चात	**मेरिट क्रमांक 01 से 25 तक के अभ्यर्थी**
1	**03 जून 2026**	रजिस्ट्रेशन– प्रातः 09:30 से 11:00 काउंसलिंग– प्रातः 11:00 बजें पश्चात	**मेरिट क्रमांक 26 से 49 तक के अभ्यर्थी**

निरंतर – 03

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

नोट :–

1. **काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियत समय पर उपस्थित नही होने की स्थिती में सीट मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।**
2. काउंसलिंग में सीट आवंटित होने पर सभी वर्ग के अभ्यर्थीयों को पाठ्यक्रम की पूर्ण फीस में से प्रथम किस्त फीस एकमुश्त Online माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,खण्डवा बैंक खाता क्रमांक 37773559136 (IFSC Code- SBIN0012159)** में जमा करवानी होगी, अन्यथा सीट आवंटन रद्द हो जाएगा।
3. छात्रवृत्ति का लाभ मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार प्रवेश के पश्चात् प्राप्त होगा।
4. **काउंसलिंग मे भाग लेने वाले अभ्यर्थीयों को काउंसलिंग के दौरान डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम मे से किसी भी पाठ्यक्रम मे उपलब्धता अनुसार प्रवेश मिल सकता है जिसकी पूर्ण फीस (प्रथम किश्त) प्रवेश के समय एकमुश्त ऑनलाईन माध्यम से जमा करनी है। अतः समस्त अभ्यर्थीयों को सलाह दी जाती है कि उन्हे डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक फीस साथ लाना चाहिए जिससे की प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।**
5. EWS श्रेणी मे प्रवेश लेने हेतु निर्धारित प्रारूप मे पात्र अनारक्षित उम्मीदवारों को EWS प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. **काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को राशि रूपये 1,75,000/– (एक लाख पिच्चतर हजार) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु एवं राशि रूपये 75,000 (पिचत्तर हजार) डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सीट लिविंग बाण्ड 500 के स्टाम्प पेपर पर जमा करना अनिवार्य है।**
7. काउंसलिंग के दौरान स्थानांतरण (TC) एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुल दस्तावेजों के अभाव हेतु एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
9. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियो को काउंसलिंग फीस रू. 600/– काउंसलिंग के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा।
10. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग समिति द्वारा समय–समय पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी के साथ केवल एक व्यक्ति (माता/पिता/अभिभावक) को प्रवेश की अनुमति होगी।
12. **उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संभावित परिवर्तन की सूचना चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाइट www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय–समय पर अवलोकन करते है।**
13. प्रवेश संबधी नियमों मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन के समस्त अधिकार नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. **काउंसलिंग में भाग लेना प्रवेश की गारंटी नही है,** मेरिट अनुसार सीट उपलब्ध होने पर ही प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

20/1/26

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा

D:/Letter Prepared by: - Hemendra Singh